

अति आवश्यक/आज ही

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(9)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 29.12.2011

निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राज. जयपुर।


विषय:- अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सेवारत चिकित्सकों की हडताल के दौरान राज्य में किसी भी चिकित्सक/अधिकारी/कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे एवं पूर्व में स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाशों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावे। अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किया जाना है तो प्रमुख शासन सचिव महोदय की अनुमति से ही स्वीकृत किया जावे।


साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि चिकित्सकों की हडताल के दौरान राजपत्रित अवकाशों को भी सामान्य कार्य दिवसों की भांति कार्यालय खुले रहेंगे।

आज्ञा से,

  
(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 3- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 4- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
- 5- रक्षित पत्रावली

  
शासन उप सचिव